भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3464
सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक)

कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत

3464. श्री देवजी पटेलः
सुश्री प्रतिमा भौमिकः
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकरः
श्री सुधकर तुकाराम श्रंगरेः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत का त्रिपुरा और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में शीर्ष पदों पर कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या शीर्ष पदों पर महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध् में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में त्रिपुरा एवं महाराष्ट्र सहित 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्लूपीआर) 22% है। सामान्य प्रमुख एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के महिला कामगार जनसंख्या अनुपात का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (ङ): केंद्रीय स्तर पर ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं के रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें बाल देख-भाल केंद्र, सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। सरकार ने सभी श्रेणी के कर्मचारियों को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज तथा भूमिगत कामकाज में सुबह 6 बजे से शाम सायं: 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी सहित भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

मजदूरी संहिता, 2019 यह व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सरकार राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है जहां रोजगार तलाश, रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना इत्यादि जैसी विविध रोजगार संबंधी सेवाएं एनसीएस परियोजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के साथ एक साझा मंच पर प्रदान की जा रही हैं। एनसीएस पोर्टल पर महिलाओं के लिए रोजगार को विशेष रूप से महिला विशिष्ट विंडो में प्रदर्शित किया जाता है।

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 16.03.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3464 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) आयु समूहः 15 वर्ष एवं उससे अधिक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	ग्रामीण+शहरी		
		पुरूष	महिला	व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	75.3	40.8	57.2
2	अरुणाचल प्रदेश	66.4	13.0	42.3
3	असम	74.7	11.0	43.7
4	बिहार	63.7	4.0	35.5
5	छत्तीसगढ़	76.6	47.6	62.4
6	दिल्ली	68.1	12.8	42.7
7	गोवा	64.4	22.9	42.9
8	गुजरात	74.0	19.0	47.4
9	हरियाणा	68.3	12.8	41.7
10	हिमाचल प्रदेश	71.0	47.5	58.9
11	जम्मू और कश्मीर	72.7	27.6	51.0
12	झारखंड	68.1	14.6	41.7
13	कर्नाटक	74.0	24.8	49.1
14	केरल	65.8	20.4	41.2
15	मध्य प्रदेश	75.9	31.0	54.3
16	**महाराष्ट्र**	71.4	29.1	50.5
17	मणिपुर	64.0	19.8	42.5
18	मेघालय	75.4	50.2	62.3
19	मिजोरम	67.1	26.0	46.4
20	नागालैंड	52.9	11.0	32.8
21	ओडिशा	72.9	18.3	44.9
22	पंजाब	69.8	13.7	42.9
23	राजस्थान	69.1	26.3	48.2
24	सिक्किम	74.0	41.6	58.7
25	तमिलनाडु	71.8	31.3	51.0
26	तेलंगाना	69.1	30.3	49.8
27	**त्रिपुरा**	70.5	11.1	42.0
28	उत्तराखंड	65.0	16.1	40.6
29	उत्तर प्रदेश	70.0	13.1	41.8
30	पश्चिम बंगाल	75.3	20.1	47.8
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	76.4	19.1	48.7
32	चंडीगढ़	74.0	20.0	46.9
33	दादर और नगर हवेली	86.8	39.7	66.3
34	दमन और दीव	85.8	24.1	63.2
35	लक्षद्वीप	65.6	9.1	34.4
36	पुडुचेरी	64.4	13.4	37.8
	अखिल भारत	71.2	22.0	46.8

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), जुलाई, 2017- जून,18, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;